उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-9/2017/वे०आ०-2-604/दस-01(एम)/2016

लखनऊ : दिनॉक: 19 जून, 2017

संकल्प

विषय:- सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने हेतु गठित वेतन समिति (2016) में सदस्य नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु संकल्प संख्या-38/2016/वे०आ०-2-876/दस-01(एम)/2016, दिनॉक 11 अगस्त, 2016 द्वारा श्री जी0 पटनायक की अध्यक्षता में वेतन समिति गठित करते हुए श्री अरूण कुमार सिन्हा, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सदस्य नामित किया गया था। बाद में श्री अरूण कुमार सिन्हा, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग से स्थानान्तरित हो कर प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन हो गये। तत्क्रम में संकल्प संख्या-53/2016/वे0आ0-2-1061/दस-01(एम)/2016, दिनॉक 29 अगस्त 2016 द्वारा श्री अरूण कुमार सिन्हा, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को वेतन समिति में सदस्य नामित किया गया। श्री अरूण कुमार सिन्हा दिनॉक 30 मई, 2017 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गये।

अत: श्री अरूण कुमार सिन्हा के स्थान पर 'प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन' को वेतन समिति का सदस्य नामित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उपर्युक्त शासकीय संकल्प दिनॉक 11 अगस्त, 2016 एवं 29 अगस्त, 2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
अपर मुख्य सचिव।

1- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ।

2- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में विज्ञापित किया जाय।

3- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सचिवालय के समस्त अनुभागों तथा सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी जाये।

4- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति समस्त विभागाध्यक्षों तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को भेजी जाय।

5- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समस्त सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, विकास प्राधिकरणों एवं स्वशासी संस्थाओं को भेजी जाय।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in